संख्याः 624 / VIII / 13–प्रशि / 2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून : दिनांक 05 अक्टूबर, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु आयोजनागत पक्ष में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार / रूद्रप्रयाग / काण्डा / दिनेशपुर में नये व्यवसायों हेतु मशीनें साज–सज्जा उपकरण एवं संयंत्र का क्रय करने के लिये रूपये 50 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5765 / डीटीईयू / 0202 / सेवा / टी0एण्डई0 / 2005, दिनांकः 31.08.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि आपके प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष–2005–06 हेतु आयोजनागत पक्ष में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार / रूद्रप्रयाग / काण्डा / दिनेशपुर में नये व्यवसायों हेतु मशीनें साज–सज्जा उपकरण एवं संयंत्र का क्रय करने के लिये रूपये 50 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निपटान पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय जारी शासनादेशों / अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– उक्त योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी, की दरों अथवा शर्तों, टेन्डर / कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5– उक्त धनराशि से कराये जा रहे कार्यों / क्रय किये जा रहे उपकरणों का मदवार / धनराशिवार विवरण शासन को दिनांकः 31.03.2006 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(882)

6– उपकरणों का क्रय एन0सी0वी0टी0 के मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। जिन आई0टी0आई0 में पुराने उपकरणों के पुराने होने के कारण प्रतिस्थापन किया जा रहा है, उन स्थानों के पुराने निष्प्रयोज्य उपकरणों के प्रतिस्थापन की कार्यवाही अर्जित राशि राज्यकोष में जमा कर दी जायेगी।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक: 31.03.2006 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा और क्रय की जा रही धनराशि का मदवार/धनराशिवार व्यय विवरण शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु अनुदान संख्या–30 मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण–आयोजनागत, 003–दस्तकारों तथा प्रर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 02–अनुसूचित जनजाति का कल्याण, 01–दिनेशपुर, काण्डा, टनकपुर, रूद्रप्रयाग आदि आई0टी0आई0 में नये व्यवसायों का खोला जाना, के अन्तर्गत मानक मद संख्या: 26–मशीने साज–सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0 1748/XXVII(3)/2005, दिनांक: 29, सितम्बर–2005 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

[redacted]।

भवदीय

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 624(1)/VIII/13–प्रशि/2005 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
3– वित्त अनुभाग–3
4– एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
5– नियोजन विभाग।
6– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।